न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 642 सन् 2008

रामपृत सिंह व अन्य............वादीगण

बनाम

राम नरेश सिंह व अन्य ............प्रतिवादीगण

दिनांक– 07.12.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से दिनांक 19.12.2019 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी की ओर से लगान रशीद वर्ष 2012–13 एवं बक्सीसनामा दिनांक 07.09.1995 लक्ष्मी कुंअर बनाम राम बिनोद सिंह पूर्व में दाखिल है लेकिन भूलवश उक्त कागजातां को प्रदर्श चिन्हित नहीं हो सका और इस वाद में बहस प्रारंभ हो गया है। अतः निवेदन है कि उक्त दोनों दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य करते हुए प्रदर्श अंकित करने का अवसर वादी को प्रदान किया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 06.02.2020 को प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन है कि वादीगण का आवेदन दिनांक 19.12.2019 बक्सीसनामा दिनांक 07.09.1995 वो लगान रशीद वर्ष 2012–13 को साक्ष्य में ग्राह्य करने हेतु दाखिल आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादीगण को साक्ष्य बहुत पहले समाप्ता हो चुका है और प्रतिवादीगण का साक्ष्य भी समाप्त हो चुका है। उभय पक्ष की ओर से मौखिक बहस हो चुका था तथा लिखित बहस भी दाखिल कर दिया गया था लेकिन पदाधिकारी के स्थानांतरण हो जाने के कारण वाद में निर्णय नहीं

हो सका। वादीगण आवेदन दाखिल कर वाद को पुनः जारी कराना चाहते हैं। वादीगण के आवेदन को स्वीकार हो जाने पर प्रतिवादीगण को भी उक्त कागजातों के आलोक में अपनी ओर से साक्ष्य देना आवश्यक है। वादीगण ने अपने आवेदन के किसी साक्षी द्वारा उपर्युक्त कागजातों को अपने कस्टडी से दाखिल करने का वर्णन नहीं किया है। अतः वादीगण के आवेदन दिनांक 19.12.2019 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत बंटवारा वाद में उभय पक्षों का साक्ष्य समाप्त हो चुका है। और अभिलेख प्रतिवादी की ओर से बहस करने हेतु नियत चला आ रहा है। वादीगण साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत जिन दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य कराना चाहते हैं वह लोक दस्तावेज नहीं है। ऐसी परिस्थिति में विचारण समाप्त हो जाने के पश्चात् वादी की ओर से साक्ष्य में ग्राह्य करने एवं प्रदर्श चिन्हित करने हेतु आवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.12.2019 को खारिज किया जाता है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे इस वाद में बहस प्रारंभ करें।

वाद दिनांक 01.02.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।